

यूजीसी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2025-26 में नव-प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्तीकरण (Cancellation)/आहरण (Withdrawal) के लिए शुल्क वापसी हेतु निम्नलिखित नियम:

क्र. सं.	शिक्षण शुल्क वापसी प्रतिशत	वह दिनांक जब विश्वविद्यालय में प्रवेश वापसी की सूचना प्रेषित की गई।
(1)	100%	विश्वविद्यालय विवरणिका में दिये जाने के बाद भी किसी कारण से पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जा रहे हैं। अथवा प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन या उससे पहले प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण कराने पर अथवा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के प्रवेश की तिथि तथा उसी दिन प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण कराने पर
(2)	90%	यदि प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण का अनुरोध प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन से कम समय पहले किया जाता है।
(3)	80%	विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के प्रवेश की तिथि से 15 दिन या उससे कम समय होने पर। तथा उस माह का छात्रावास शुल्क (भोजन+आवास) काट लिया जायेगा।
(4)	50%	विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के प्रवेश की तिथि से 30 दिन या 15 दिन से अधिक तथा उस माह का छात्रावास शुल्क (भोजन+आवास) काट लिया जायेगा।
(5)	00%	प्रवेश की तिथि के 30 दिन बाद वापसी का अनुरोध किया जाता है तो उससे छः माह के छात्रावास शुल्क की कटौती की जाएगी तथा जिस माह में छात्रावास में रहते हुए भोजन लिया है तो उस माह की भोजन शुल्क की कटौती की जाएगी।
नोट—यदि विद्यार्थी ने षट्कर्म सामग्री, वेशभूषा प्राप्त की हो तो उक्त सामग्री के शुल्क की कटौती की जाएगी।		